न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 16/2021

उनवान

1. राजेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मोरीजा बी, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रभूदयाल, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती</u>

<u>अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक :– 01.04.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह कि वादी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम मोरीजा बी, पटवार हल्का मोरीजा बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है। जिसके खाता संख्या 296 के खसरा नम्बर 3601 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी ए, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि के हिस्सा 1/2 भाग एवं खाता संख्या 475 के खसरा नम्बर 3603 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3603/5036 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3684 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3685 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3686 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3690 रकबा 0.23 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी का वास्तविक नाम राजेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल है तथा तथा गांव में वादी को राजेन्द्रकुमार के नाम से भी बोला व जाना जाता है। उक्त मद संख्या 2 में वर्णित खाता संख्या 296 में वादी की खातेदारी में वादी का नाम राजेश कुमार सही दर्ज है किन्तु सहवन् से खाता संख्या 475 में वादी की खातेदारी में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार लिखा गया है, जबकि दोनों खातों में वादी का नाम राजेश कुमार दर्ज होना चाहिये था।

वादी ग्राम मोरीजाबी में मय परिवार के निवास करता है। जो वादी के राशन कार्डो, मतदाता परिचय पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी का सही नाम राजेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल दर्ज रिकॉर्ड है। जिन दस्तावेजों का वादी निरन्तर अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है लेकिन वाद पत्र मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात् खाता संख्या 475 में वादी का सही [illegible] राजेश कुमार [illegible] राजेन्द्र कुमार दर्ज हो गया। जो त्रुटि जमाबन्दी में होने से वादी को अन्य सरकारी योजनाओं तथा बैंक आदि में राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग नाम [illegible] वादी को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है जिससे वादी को [illegible]

अतः वाद वादी बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा की डिक्री फरमाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय की करवाये कि उक्त आराजी विवादग्रस्त खाता संख्या 475 में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.12 22:20:32 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

के उपनाम राजेन्द्रकुमार पुत्र प्रभूदयाल के स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये वादी का वास्तविक व सही नाम राजेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहाण की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रसिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 बावजूद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। दावे के सम्बन्ध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम मोरीजा बी के खाता संख्या 475 में प्रार्थी का नाम राजेंद्र कुमार पिता प्रभु दयाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/2 सा देह दर्ज है। वह खाता संख्या 296 में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पिता प्रभु दयाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल दर्ज है। ग्राम पंचायत मोरीजा द्वारा दिनांक 05.02.2018 को जारी पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार शर्मा और राजेंद्र कुमार शर्मा पिता प्रभु दयाल शर्मा निवासी मोरीजा अंकित किया गया है तथा पहचान पत्र में दोनो नाम से एक ही व्यक्ति को जाने जाने हेतु लिखा गया है। फर्द मौका दिनांक 19.03.2021 के अनुसार मजमा आम में जांच करने पर राजेश कुमार में राजेंद्र कुमार एक ही व्यक्ति के नाम पाए गए हैं अतः खाता संख्या 475 में दर्ज नाम राजेंद्र कुमार के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र प्रभु दयाल करने की अनुशंसा की गई है।

पत्रावली एवं दस्तावेजात्, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं का अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई । प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार मुताबिक तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट अनुसार उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता हैं तथा विवादग्रस्त खाता संख्या 475 में वादी के उपनाम राजेन्द्रकुमार पुत्र प्रभूदयाल के स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये वादी का वास्तविक व सही नाम राजेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहाण की घोषणा की जाती है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्थी करने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(अभिषेक सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.12 22:20:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner